



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 21]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 मई 2025—ज्येष्ठ 2, शक 1947

भाग ४

विषय-सूची

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद के अधिनियम. |
| (ग) (1) प्रारूप नियम, | (2) अंतिम नियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 मई 2025

क्र. एफ-3-14-2018-तेरह.—मध्यप्रदेश विद्युत् शुल्क अधिनियम, 2012 (क्रमांक 17 सन् 2012) की धारा 13 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश विद्युत् शुल्क नियम, 1949 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 16 में,—

1. आरंभिक पैरा में, शब्द और प्रतीक “तो वह जुर्माने से, जो 5 हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा” के स्थान पर, शब्द और प्रतीक “तो उस पर पांच हजार रुपए की शास्ति अधिरोपित की जाएगी” स्थापित किए जाएं।
2. प्रथम परंतुक में, आए शब्द जुर्माना / जुर्माने, जहां कहीं भी आए हों के स्थान पर, शब्द “शास्ति” स्थापित किया जाए।
3. द्वितीय परंतुक में, शब्द “जुर्माना” के स्थान पर शब्द “शास्ति” स्थापित किया जाए।

No.F-3-14-2018-XIII.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Vidyut Shulk Adhiniyam, 2012 (No. 17 of 2012), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Electricity Duty Rules, 1949, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 16,—

1. In the opening paragraph, for the words and symbol "he shall be punishable with a fine which may extend to Five Thousand Rupees:", the words and symbol "then he shall be imposed with a penalty of Rupees Five Thousand: " shall be substituted.
2. In the first proviso, for the word "fine", wherever it occurs, the word "penalty" shall be substituted.
3. In the second proviso, for the word "fine", the word "penalty" shall be substituted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. गौड़, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी।